रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20122022-241230
CG-DL-W-20122022-241230

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1944
No. 45] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, सहायक भौतिक चिकित्सक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman; 2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; 3. One Officer to be co-opted as a member from the concerned speciality - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/18/2018-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 जहां तक उनका सम्बन्ध कीटनाशी नियत्रंक के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) में कीटनाशी नियंत्रक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है ,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र कीटनाशी नियत्रंक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स का स्तर - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा , जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कीटनाशी नियत्रंक	*30(2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर- राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स (19900 रु - 63200 रु.) में स्तर - 2	लागू नहीं होता

आयु- सीधी भर्ती आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता
(6)	(7)
18-25 वर्ष के बीच (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरे जाने के मामले में यह 18 वर्ष और 27 वर्ष के मध्य होगी) (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यार्थियो की दशा में सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम तारीख नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं होती है आयु सीमा अवधारित करने की अंतिम तारीख होगी जो आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12 वी पास (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय जैव चिकित्सीय प्रयोगशाला से एंटोमोलोजी में 1 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:-** कम्पूटर का ज्ञान

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)

लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने वाली) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. सयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्टीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र कीटनाशी नियत्रंक - अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली /नई दिल्ली में स्थित कोई अन्य संस्थान - सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियत्रण केंद्र कीटनाशी नियंत्रण - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-65/2019/प्रशा.]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th December, 2022

G.S.R. 189.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group- 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Insect Collector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Insect Collector in the National Center For Vector Borne Diseases Control, (NCVBDC), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Center For Vector Borne Diseases Control, Insect Collector, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Insect Collector	30* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Level- 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not Applicable.	Between 18 and 25 years. (In case of post being filled up by all India open Competition, it would be- between 18 years and 27 years.) (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through SSC, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades, from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential:- (i) 12th Pass with Science from a recognized Board. (ii) One year's experience in Entomology from a Government recognised medical/ biological laboratory. **Desirable:-** Knowledge of computer.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- i) Joint Director or Deputy Director, National Center For Vector Borne Diseases Control – Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services/ Any other Institution of the Dte. Located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, National Center For Vector Borne Diseases Control – Member.	Not necessary.

[F. No. 1-65/2019/Admn.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.